— 1 —

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप–6)विभाग

क्रमांक प.3 (17)राज.6/2021/67 जयपुर, दिनांक–18.08.2021

अधिसूचना

राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 के नियम 13 के उप–नियम (4) के परन्तुक में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 'प्रशासन गांव के संग अभियान–2021' के दौरान राज्य सरकार जनहित में यह आवश्यक समझती है एवं एतद्द्वारा निर्देश देती है कि राज्य के समस्त जिलों हेतु भूमि आवंटन प्रयोजन के लिये भूमि आवंटन सलाहकार समिति की बैठक उस ग्राम पंचायत मुख्यालय पर होगी, जिस के लिये प्रभारी नियुक्त किया गया है।

यह अधिसूचना 'प्रशासन गांव के संग अभियान–2021' की अवधि दिनांक 02.10.2021 से 17.12.2021 तक प्रभावशील रहेगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,
18/08/2021
(रामधरन शर्मा)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय।
2. विशिष्ठ सहायक, मा0 राजस्व मंत्री महोदय।
3. वरिष्ठ शासन उप सचिव, मुख्य सचिव।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग।
5. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
6. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
7. निबन्धक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
8. आयुक्त, उपनिवेशन विभाग, बीकानेर।
9. सूचना जनसम्पर्क निदेशालय, जयपुर।
10. निदेशक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को अधिसूचना का राजपत्र के विशेषांक दिनांक 18.8.21 में प्रकाशन हेतु।
11. समस्त संयुक्त शासन सचिव/उप शासन सचिव, राजस्व विभाग।
12. रक्षित पत्रावली।

18/8/2021
शासन उप सचिव